



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.2/क.अ./स्थाना.पद./पार्ट/17/ 4355

जयपुर, दिनांक :- 21.11.17

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 4210 दिनांक 10.10.16 द्वारा श्री भवानी शंकर रैगर, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, राजसमन्द (राजसमन्द) का स्थानान्तरण/पदस्थापन पंचायत समिति, निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़) किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)

अतिरिक्त आयुक्त एवं

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग ।
2. विशिष्ट सहायक, मान. मंत्री, उच्च, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक 107 (आर) दिनांक 15.11.17 के संदर्भ में ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. जिला कलैक्टर, राजसमन्द/चित्तौड़गढ़ ।
5. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द/चित्तौड़गढ़ ।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजसमन्द/निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़) ।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. श्री भवानी शंकर रैगर, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, राजसमन्द (राजसमन्द)।
9. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं

संयुक्त शासन सचिव